

निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 6 /अपील/19

प्रभूलाल आ0 रूघनाथ जाति मेघवाल नि0 बडबड तहसील बकानी (अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रेस्प0)

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बकानी निर्णय दिनांक 28.12.2018

मिसल न0 700/18

उपस्थित:- श्री अजीत सिंह झाला अभिभाषक अपीलान्त  
पेरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक:- 2.05.2019

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 28.12.2018 जो मिसल न0 700/18 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम बडबड की आराजी ख0न0 387 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा किस्म चरागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 80/-रू0 शास्ती तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर से पूर्व में ही कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा अण्डर टेकिंग देने को तैयार है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जोपट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तालब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में अपीलान्त की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रमाणित मौका रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 2493 दिनांक 17.10.2017 से पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलार्थी के आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्त द्वारा प्रमाणित मौका रिपोर्ट पटवारी की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्त का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकन किया गया है इसी क्रम में अपीलान्त उक्त आराजी पर भविष्य में भी कब्जा नहीं करेगा अण्डर टेकिंग देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.05.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर  
झालावाड़

झालावाड़